न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2024
जीसीएमएस नंबरः– 2024/194

प्रार्थीगण :–

1. रेवंतसिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह,
2. मंगलसिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह,
3. चंदनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह,
4. अर्जुनसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह,
5. जब्बरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह,

   सभी जाति रावणा राजपूत, निवासी गोयलों की ढाणी, ग्राम नांदडा कलां, तह. व जिला जोधपुर।

6. बागाराम पुत्र श्री मोटाराम,
7. भानाराम पुत्र श्री कानाराम,
8. मिश्रीलाल पुत्र श्री पेमाराम,

   सभी जाति जाट निवासी गोयलों की ढाणी, ग्राम नांदडा कलां तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गुदड़राम पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नान्दडा कलां तह. व जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– श्री चेतन प्रकार सोनी, श्रीमती रेखा सोनी अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से।
श्री शंकर लाल सिनवाडिया अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

–:आदेशः– दिनांकः– 10.09.2025

प्रार्थीगण की और से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है प्रार्थी संख्या 1 से 5 व अन्य के खातेदारी व उपयोग–उपभोग की एक भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 57 बीघा 09 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 6 से 8 व अन्य के खातेदारी व उपयोग–उपभोग की एक भूमि खसरा संख्या 195 रकबा 54 बीघा 07 बिस्वा ग्राम नांदड़ा कलां, पटवार क्षेत्र नांदड़ा कला, भू–अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

निरीक्षक क्षेत्र डिगाड़ी, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के पास में ही अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व उपयोग– उपभोग की कृषि भूमि खसरा संख्या 192 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नांदड़ा कलां, पटवार क्षेत्र नांदड़ा कला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डिगाड़ी, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अपने–अपने खातेदारी की भूमियों के पड़ौसी हैं। प्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी व उपयोग–उपभोग की भूमि खसरा संख्या 194 के पश्चिमी दिशा में चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि खसरा संख्या 192 आई हुई है और प्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि खसरा संख्या 194 के पूरब दिशा में चिपते ही प्रार्थी संख्या 6 से 8 के खातेदारी व उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 192 के पश्चिमी दिशा में ग्राम नांदड़ा कला से ग्राम जालेली फौजदार जाने वाली मुख्य डामर सड़क आई हुई है और इस डामर सड़क का प्रार्थीगण, सभी ग्रामवासी व आमजन कर रहे हैं। प्रार्थीगण की इन कृषि भूमियों में रहवासीय ढाणियां भी बनी हुई हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 192 की दक्षिणी माठ पर बने कच्चे रास्ते से होकर आते–जाते हैं, इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी उक्त भूमियों में आने–जाने हेतु किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी भूमि खसरा संख्या 192 की दक्षिणी माठ पर बने उक्त रास्ते को गलत रूप से प्रार्थीगण को परेशान करने की बदि्नयती से, उसके खेत की दक्षिणी माठ से निकल रहे रास्ते को बंद कर दिया है और रास्ते के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर दी है। अप्रार्थीनी संख्या 1 के इस कृत्य से प्रार्थी की भूमि आने–जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। प्रार्थीगण के भूमियों में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 192 में पीढियों से यह रास्ता बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा था, परन्तु भूलवश राजस्व रेकर्ड में इस रास्ते का इन्द्राज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी भूमि की माठ में चल रहे इस रास्ते को बंद कर दिया है और प्रार्थीगण को इस रास्ते से आने–जाने नहीं दे रहा है और न ही इस रास्ते का उपयोग करने दे रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को मुख्य सड़क से अपनी भूमियों खसरा संख्या 194 व 195, ग्राम नांदड़ा कल्ला, तहसील व जिला जोधपुर में आने–जाने हेतु नजदीकी रास्ता खसरा संख्या 192 में से उपलब्ध कराने का आदेश फरमाया जावे और खसरा संख्या 192 में पहले से चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का भी आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि धारा 251 (।) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता पहले से ही न होने की स्थिति में नया रास्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके विपरीत धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पुराने चल रहे रास्ते को खुलवाने का प्रावधान है। मौजूदा मामले में प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

का अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नं. 192 में आज या आज से पूर्व कभी कोई रास्ता नहीं रहा। इसके अतिरिक्त जब प्रार्थीगण के पास अपने खेत खसरा नं. 194 व 195, ग्राम नान्दड़ा कल्लां, तहसील व जिला जोधपुर में जाने के लिए पहले से ही तीन रास्ते उपलब्ध हैं तो प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नं. 192 में से रास्ता लेने का कोई अधिकार ही उत्पन्न नहीं होता हैं, क्योंकि धारा 251 (A) (b) (i) (ii) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नया रास्ता किसी दूसरे खातेदार की कृषि भूमि से उसी अवस्था में लिया जा सकता है जबकि आवश्यकता Absolute Nesessity होनी चाहिए। मात्र किसी की भूमि के Convenient Enjoyment के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त नया रास्ता किसी खातेदार के खेत में से उस स्थिति में ही दिया जा सकता है कि उसके पास जाने के लिए दूसरा वैकल्पिक जरिया न होना साबित किया गया हो जबकि अप्रार्थी संख्या 01 अपने इस जवाब के साथ मौके का नक्शा पेश कर रहा है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में जाने के लिए तीन वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 01 गुदड़राम के द्वारा प्रस्तुत एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गुदड़ाम बनाम रेंवतसिंह वगैरह, मुकदमा नं. 56/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थीगण (जो मौजूदा प्रकरण में प्रार्थीगण है) को पाबंद किया गया है कि वे ग्राम नान्दड़ा कल्लां के खसरा नं. 192, रकबा 15 बीघा, 15 बिस्वा की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। स्वीकृत रूप से जब दोनों पक्षों के बीच सक्षम न्यायालय (माननीय न्यायालय) में विवादित बिन्दु पर नियमित वाद विचाराधीन है तो ऐसी सूरत में यह Summary Proceeding चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 सही है। स्वयं प्रार्थीगण ने इस पद में यह स्वीकार किया है कि– "अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नं. 192 के पश्चिम दिशा में आई हुई इस मुख्य डाम्बर सड़क से होकर प्रार्थीगण अपने खोतेदारी की भूमियों, खसरा नं. 194 व 195 में आते–जाते हैं और अपनी खातेदारी की भूमियों का उपयोग व उपभोग करते हैं। प्रार्थीगण की इन कृषि भूमियों में रहवासीय ढाणियाँ ही बनी हुई हैं। इसी रास्ते से ढाणियों में रहने वाले बच्चें मुख्य सड़क पर बनी सरकारी स्कूल में आते–जाते हैं।" इसलिए स्वयं प्रार्थीगण की इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हैं कि पक्षकारों के बीच कोई विवाद हैं ही नहीं। धारा 251 (क) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जब प्रार्थीगण को तीन रास्ते पहले से ही उपलब्ध हैं तो उनकी Absolute Nesessity नहीं मानी जा सकती हैं तथा नया रास्ता उन परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है जबकि खातेदार के पास अन्य कोई विकल्प निकलने के लिए न हो। मौजूदा मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बताई गई है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। मात्र नजदीकी रास्ता उपलब्ध न होना, नया रास्ता दिलाने का आधार नहीं हो सकता है और न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। प्रार्थीगण अपने को उपलब्ध तीन रास्तों से आ जा रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत, झूठा, बदनियतिपूर्ण होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते एवं अन्य उपलब्ध रास्तों की स्थिति के संबंध में तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 23.06.2025 में कथन किया कि प्रार्थी के खेत ग्राम नान्दड़ा कलां के खसरा सं. 194 व 195 में आवागमन करने हेतु खसरा सं. 192 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 317 फीट लंबाई तथा 20 फीट चौडाई कुल रकबा 6340 वर्गफीट बनता है। भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार 194/4 एवं 194/5 की भूमियां मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रही है। खसरा सं. 192/2 जो राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। खसरा सं. 292/2 में भी सड़के बनी हुई है, जो ग्रेवल डालकर बनाई गई है। संलग्न नक्शा अनुसार खसरा सं. 194/4 व 194/5 में निकटतम रास्ता खसरा सं. 192 व 192/2 में स्थित है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र को ही अपनी बहस माना। अप्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के खसरा नं. 192 में प्रार्थीगण या अन्य किसी का कोई रास्ता कभी रहा ही नहीं है। प्रार्थी रेवंत सिंह वगै. के पास अपनी कृषि भूमि एवं मकान में आने–जाने हेतु तीन रास्ते पूर्व से ही मौके पर मौजूद है इसके संबंध में उक्त खसरान् की वर्तमान स्थिति का नक्शा पेश है। जिसमें प्रार्थीगण के मकानों एवं कृषि भूमि में जाने के लिए तीनों मौजूदा रास्ते स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। प्रार्थीगण के खसरा सं. 194 के उत्तर दिशा में स्थिति वीके विहार कॉलोनी जो जे.डी.ए. द्वारा पास पट्टाशुदा कॉलोनी है, उनमें से ही रास्ता मौजूद है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 200 के पश्चित दिशा में मुख्य सड़क नान्दड़ा कल्लां से जालेली फोजदारा वाली डाम्बर सड़क है, जो प्रार्थीगण रेवंत सिंह के खसरा सं. 200 के चिपती हुई स्थित है, जिसे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। प्रार्थीगण ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है जो झूठा एवं बदनीयतीपूर्ण पेश किए जाने से खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित की रास्ते की मौका जांच रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड एवं समग्र पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के अनुसार कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारों की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहते हैं तो यह उक्त रास्ता आत्यांतिक आवश्यक हो केवल जोत के लिए सुविधाजन उपयोग–उपभोग के लिए नहीं हो। धारा 251 क के तहत नए रास्ते के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध होने चाहिए कि आवश्यक्ता (रास्ते की आवश्यक्ता) आत्यांतिक आवश्यक्ता हो। यह जोत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग–उपभोग के लिए नहीं हो। जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण अपनी जोत में पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने पर नए रास्ते की मांग की है किंतु संपूर्ण पत्रावली एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिए गए तथ्यों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट होता है प्रार्थीगण के खसरा सं. 194 के उत्तर दिशा में स्थिति वीके विहार कॉलोनी जो जे.डी.ए. द्वारा पास पट्टाशुदा कॉलोनी है, जहां से प्रार्थीगण को रास्ता मौजूद है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 200 के पश्चित दिशा में मुख्य सड़क नान्दडा कल्लां से जालेली फोजदारा वाली डाम्बर सड़क है, जो प्रार्थीगण रेवंत सिंह के खसरा सं. 200 के चिपती हुई स्थित है, जिसे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। अतः_प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 194 व 195 में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग–उपभोग हेतु है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम रास्ते की आत्यांतिक आवश्यक्ता सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 10/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)